



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12012021-224347
CG-DL-E-12012021-224347

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 90]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 12, 2021/पौष 22, 1942

No. 90]

NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 12, 2021/PAUSHA 22, 1942

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 जनवरी, 2021

का.आ. 104(अ).—केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि लोक प्रयोजन के लिए, ऐसी भूमि का, जिसका संक्षिप्त विवरण इससे उपाबद्ध अनुसूची में दिया गया है, पश्चिम बंगाल राज्य के पूर्व बर्धमान जिले में विशेष रेल परियोजना अर्थात्, ईस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबन्ध और प्रचालन के प्रयोजन के लिए अपेक्षित है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन और उपयोग के संबंध में आक्षेप कर सकेगा;

ऐसा प्रत्येक आक्षेप सक्षम प्राधिकारी अर्थात्, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (भूमि अर्जन), पूर्व बर्धमान, पश्चिम बंगाल को लिखित में किया जाएगा और उसमें उसके आधार उपवर्णित किए जाएंगे तथा सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप से या विधि व्यवसायी के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और ऐसे सभी आक्षेपों की सुनवाई करने तथा ऐसी अतिरिक्त जाँच, यदि कोई हो, करने के पश्चात्, जो सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा आक्षेपों को या तो अनुज्ञात या अनुज्ञात कर सकेगा;

उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अन्तिम होगा;

इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि का रेखांकन और अन्य ब्यौरे उपलब्ध है और हितबद्ध व्यक्ति द्वारा सक्षम प्राधिकारी के उपरोक्त कार्यालय में उनका निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

पश्चिम बंगाल राज्य के पूर्व बर्धमान जिले में विशेष रेल परियोजना अर्थात्, ईस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि का संरचना सहित या उसके रहित संक्षिप्त विवरण।

जिले का नाम— पूर्व बर्धमान

क्रम संख्या	पुलिस थाने का नाम	मौजा का नाम अधिकारिता सूची सहित	प्लॉट संख्या	अर्जन क्षेत्र		प्रभावित भाग
				एकर मे	हेक्टर मे	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	बर्धमान	तालित-10 (आर. एस.)	1306	0.095	0.03845	पूर्व अधिगृहीत क्षेत्र वर्जित
			1307	0.130	0.05261	उत्तर भाग
			1312	0.090	0.03642	पूर्व अधिगृहीत क्षेत्र वर्जित
			1313	0.400	0.16188	उत्तर भाग
			1314	0.680	0.27519	उत्तर-पूर्व भाग
			1318	0.020	0.00809	उत्तर-पूर्व कोण
			1319	0.115	0.04654	पूर्व अधिगृहीत क्षेत्र वर्जित
			1320	0.010	0.00405	पूर्व अधिगृहीत क्षेत्र वर्जित
			1321	0.150	0.0607	उत्तर भाग
			1322	0.070	0.02833	उत्तर-पूर्व भाग
			1349	0.180	0.07285	उत्तर-पूर्व भाग
			1352	0.270	0.10927	उत्तर भाग
			1353	0.390	0.15783	दक्षिण-पश्चिम कोण वर्जित
			1354	0.120	0.04856	पूर्व अधिगृहीत क्षेत्र वर्जित
			1355	0.385	0.15581	उत्तर भाग
			1357	0.395	0.15985	उत्तर भाग
			1358	0.010	0.00405	पूर्व अधिगृहीत क्षेत्र वर्जित
			1359	0.250	0.10117	उत्तर भाग
			1361	0.420	0.16997	उत्तर भाग
			1362	0.235	0.09510	दक्षिण-पश्चिम कोण वर्जित
			1363	0.035	0.01416	उत्तर-पूर्व भाग
			1384	0.005	0.00202	उत्तर-पूर्व कोण
			1385	0.520	0.21044	दक्षिण भाग तथा दक्षिण-पश्चिम भाग वर्जित
			1386	0.035	0.01416	उत्तर-पूर्व भाग
			1387	0.030	0.01214	उत्तर भाग
			1388	0.360	0.14569	उत्तर-पूर्व भाग
			1389	0.145	0.05868	पूर्व अधिगृहीत क्षेत्र वर्जित
			1390	0.245	0.09915	उत्तर-पूर्व भाग
			1422	0.370	0.14974	उत्तर भाग
			1423	0.015	0.00607	पूर्व अधिगृहीत क्षेत्र वर्जित
			1424	0.310	0.12546	उत्तर भाग
			1439	0.025	0.01012	उत्तर-पूर्व भाग
			1440	0.155	0.06273	दक्षिण-पश्चिम भाग वर्जित
			1441	0.030	0.01214	पूर्व अधिगृहीत क्षेत्र वर्जित
			1442	0.100	0.04047	उत्तर भाग
			1444	0.265	0.10724	उत्तर भाग
			1453	0.035	0.01416	उत्तर-पूर्व भाग
			1454	0.040	0.01619	दक्षिण-पश्चिम भाग वर्जित
			1455	0.215	0.08701	दक्षिण-पश्चिम भाग वर्जित

		1460	0.050	0.02023	उत्तर-पूर्व भाग
		1462	0.080	0.03238	उत्तर भाग
		1467	0.230	0.09308	उत्तर भाग
		1469	0.065	0.02631	उत्तर भाग
		1470	0.020	0.00809	पूर्व अधिगृहीत क्षेत्र वर्जित
		1471	0.005	0.00202	पूर्व अधिगृहीत क्षेत्र वर्जित
		1472	0.090	0.03642	उत्तर भाग
		1473	0.065	0.02631	दक्षिण-पश्चिम भाग वर्जित
		1475	0.005	0.00202	उत्तर-पूर्व कोण
		1464 / 1537	0.040	0.01619	पूर्व अधिगृहीत क्षेत्र वर्जित
		1464 / 1538	0.020	0.00809	उत्तर-पूर्व भाग
		1464 / 1539	0.005	0.00202	उत्तर-पूर्व कोण
		1464 / 1540	0.065	0.02631	दक्षिण-पश्चिम भाग वर्जित

[फा. सं. 2020 / एल.एम.एल-II / 12 / 2 / ईसी / 2100]

ए. के. सिन्हा, कार्यकारी निर्देशक (भू. एवं सु. और स्टे. वि.)

MINISTRY OF RAILWAYS**(RAILWAY BOARD)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 8th January, 2021

S.O. 104(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government after being satisfied that for the public purpose the land the brief description of which has been given in the schedule annexed hereto is required for the purpose of execution, maintenance, management and operation of the Special Railway Project namely, Eastern Dedicated Freight Corridor in the district of Purba Bardhaman in the State of West Bengal, hereby declares its intention to acquire such land;

Any person interested in the said land may within a period of thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of Section 20D of the said Act;

Every such objection shall be made to the competent authority namely, Additional District Magistrate (Land Acquisition), Purba Bardhaman, West Bengal in writing and shall set out the grounds thereof and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard either in person or by legal practitioner and may after hearing all such objections and after making such further enquiry if any as the competent authority thinks necessary by order either allow or disallow the objections;

Any order made by the competent authority under sub-section (2) of Section 20D of the said Act shall be final;

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structure falling within the Special Railway Project namely, Eastern Dedicated Freight Corridor in the district of Purba Bardhaman in the State of West Bengal.

Name of District- Purba Bardhaman

SL. NO.	POLICE STATION	NAME OF MOUZA WITH JL NO	PLOT NO.	ACQUISITION AREA		AFFECTED PORTION
				ACRE	HECTARE	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Bardhaman	Talit-10 (R.S.)	1306	0.095	0.03845	Except Previous Acquisition
			1307	0.130	0.05261	Northern

			1312	0.090	0.03642	Except Previous Acquisition
			1313	0.400	0.16188	Northern
			1314	0.680	0.27519	North Eastern
			1318	0.020	0.00809	North East Corner
			1319	0.115	0.04654	Except Previous Acquisition
			1320	0.010	0.00405	Except Previous Acquisition
			1321	0.150	0.06070	Northern
			1322	0.070	0.02833	North Eastern
			1349	0.180	0.07285	North Eastern
			1352	0.270	0.10927	Northern
			1353	0.390	0.15783	Except South West Corner
			1354	0.120	0.04856	Except Previous Acquisition
			1355	0.385	0.15581	Northern
			1357	0.395	0.15985	Northern
			1358	0.010	0.00405	Except Previous Acquisition
			1359	0.250	0.10117	Northern
			1361	0.420	0.16997	Northern
			1362	0.235	0.09510	Except South West Corner
			1363	0.035	0.01416	North Eastern
			1384	0.005	0.00202	North East Corner
			1385	0.520	0.21044	Except Southern and South Western
			1386	0.035	0.01416	North Eastern
			1387	0.030	0.01214	Northern
			1388	0.360	0.14569	North Eastern
			1389	0.145	0.05868	Except Previous Acquisition
			1390	0.245	0.09915	North Eastern
			1422	0.370	0.14974	Northern
			1423	0.015	0.00607	Except Previous Acquisition
			1424	0.310	0.12546	Northern
			1439	0.025	0.01012	North Eastern
			1440	0.155	0.06273	Except South Western
			1441	0.030	0.01214	Except Previous Acquisition
			1442	0.100	0.04047	Northern
			1444	0.265	0.10724	Northern
			1453	0.035	0.01416	North Eastern
			1454	0.040	0.01619	Except South Western

			1455	0.215	0.08701	Except South Western
			1460	0.050	0.02023	North Eastern
			1462	0.080	0.03238	Northern
			1467	0.230	0.09308	Northern
			1469	0.065	0.02631	Northern
			1470	0.020	0.00809	Except Previous Acquisition
			1471	0.005	0.00202	Except Previous Acquisition
			1472	0.090	0.03642	Northern
			1473	0.065	0.02631	Except South Western
			1475	0.005	0.00202	North East Corner
			1464/1537	0.040	0.01619	Except Previous Acquisition
			1464/1538	0.020	0.00809	North Eastern
			1464/1539	0.005	0.00202	North East Corner
			1464/1540	0.065	0.02631	Except South Western

[F. No.2020/LML-II/12/2/EC/2100]

A. K.SINHA, Executive Director (L&A and SD)